Vol 6 Issue 2 August 2016 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

ISSN: 2231-5063 Impact Factor : 4.6052(UIF) Volume - 6 | Issue - 2 | August - 2016

GRT Golden Research Thoughts

''शिक्षा के अधिकार का मध्यप्रदेश के अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों में कियान्वयन झाबुआ के जिले के संदर्भ में ''

डॉ. माया रावत
राजनीति विज्ञान कस्तूरबाग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट,इंदौर म.प्र.

प्रस्तावना–

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव रहा है। करोड़ों बालक गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित हैं, समाज के कमजोर वर्गो में विशेषकर अनुसूचित जन जातियों के लाखों बालक पढ़ाई अधुरी छोड़कर अर्थार्जन में लग लाते हैं। सत्य तो यह है कि स्वतंत्रता के समय से ही सर्म्पूण भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रसार को राज्य का कर्तव्य मानते हुए राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में उसे सम्मिलित किया गया था।

शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये विशेष प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता अनुभव किये जाने पर कोठारी आयोग ने (१९६४-६६) का गठन किया। कोठारी आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप संसद में तीन बार ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति'' (१९६८, १९८६, १९९२) के दस्तावेजों में ६ से १४ आयु समूह के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया है। लेकिन आज भी देश में ६ से १४ आयु के बच्चे करोड़ों की संख्या में शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने समय-समय पर अनेक योजनाएं लागू की जैसे सभी के लिए शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान, जनशाला, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क साइकिल वितरण, स्कूल चले हम अभियान, शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड साथ ही जनजातियों के लिए आश्रम, कस्तूरबा बालिका छात्रावास आदि जैसी योजनाएं लागू की गई। फिर भी साक्षरता के प्रतिशत में बढोत्तरी बहुत कम हुई। अंततः संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसके पूर्व यह अनुच्छेद २९ और ३० में संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो मूल अधिकार सम्मिलित था वह सर्व सामान्य को शिक्षा का अधिकार प्रत्यसततः नहीं देता था, बल्कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार देता था, साथ ही धर्म एवं भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपन रूचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनमें प्रशासन का अधिकार देता है। इसमें मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल नहीं था। मात्र नीति-निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद ४५ में इसका उल्लेख था। इस दृष्टि से २००२ में पारित ८६वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था, इसके द्वारा जीवन के मूलभूत अधिकार के तहत २१-क जोड़कर शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। जिसमें ६ से १४ वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध है। किन्तु फिर भी इसके क्रियान्वयन में ७ वर्ष लगे और शिक्षा का अधिकार अधिनियम २७ अगस्त २००९ को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो पाया। इसमें निःशुल्क व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो। अनिवार्य से तात्पर्य है प्रावधानों के तहत ६ से १४ वर्ष के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन, शत-प्रतिशत उपस्थिति। शत-प्रतिशत बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने का संवैधानिक दायित्व राज्य सरकार का है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है।

यह अधिनियम १ अप्रैल, २०१० से पूरे देश में एक साथ लागू हो पाया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति के माध्यम से अनुसूचित जनजातिय क्षेत्रों में भी शिक्षा के सार्व भौमिकता की मुहिम को बल मिला है।

देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में आदिवासी जनसंख्या अधिक है जो शिक्षा के मामले में सर्वाधिक पिछड़ी हुई है। मध्यप्रदेश प्रारंभ से ही भारत के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में से रहा है। भारत की भांति मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का स्तर कम है। भारत की जनसंख्या में ८.२० प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की संख्या है। जिसमें साक्षरता का प्रतिशत मात्र ४७ प्रतिशत है, जबकि मध्यप्रदेश में तो यह ४१.१० प्रतिशत है जो चिंतनीय है। मध्यप्रदेश के झाबुआ लि की ८६.८४ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति में से मात्र ४४.४५ प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर हैं जो कि देश कुल साक्षरता के प्रतिशत ७४.६ प्रतिशत और मध्यप्रदेश की कुल साक्षरता ७०.४ प्रतिशत से बहुत कम है। जिसका मुख्य कारण शैक्षणिक संस्थाओं की कमी वित्तीय संसाधनों का अभाव और सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षा का प्रचार-प्रसार अत्यंत सीमित रहा।

इसी पृष्ठभूमि को लेकर शोध का यह विषय चुना है–

- शोध का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का अधिकार के प्रति जागरूकता है अथवा नहीं।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा लागू की गई शिक्षा की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है।
- जनजातियों में शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएं और समस्याओं को ज्ञात करना तथा अंततः उसके निदान के लिये उपायों की खोज करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के एकत्रिकरण के लिये सर्वेक्षण किया गया है। इसके लिए साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र झाबुआ जिला है। अध्ययन की इकाई अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं साथ ही शिक्षकों और बच्चों से साक्षात्कार कर तथ्य संकलित किये गये हैं।

अध्ययन का समग्र झाबुआ जिला है। झाबुआ जिले में कुल गांवों की संख्या १३४५ है। जिसमें दैव निदर्शन पद्धति की नियमित अंकन प्रणाली से झाबुआ जिले की कुल पांच तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से पांच गांवों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित गांवों में से १० परिवारों का चयन किया गया है। जिसमें से २५० परिवारों के उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।
द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत मध्यप्रदेश जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, विषय से संबधित पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, सार्वजनिक रिकार्ड, समाचार पत्र, जर्नल एवं सरकारी कार्यालयों से आंकड़े लिये गये है।

सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि ८८ प्रतिशत परिवर निरक्षर हैं तथा १२ प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर हैं। दुर्गम इलाकों में रहने व जागरूकता के अभाव के कारण जनजातीय क्षेत्र अभी साक्षरता के क्षेत्र में भारत के २०११ के सामान्य साक्षरता (७४.६ प्रतिशत) के स्तर से काफी दूर है। सर्वेक्षण में यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि सर्वेक्षित २५० परिवारों में से कितने परिवार आरटीई (शिक्षा के अधिकार) के प्रावधानों को जानते हैं और कितने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेज रहे है। अध्ययन में पाया गया कि मात्र ३५ प्रतिशत परिवार सभी बच्चों को स्कूल भेजते हैं। किन्तु ६० प्रतिशत परिवार के कुछ बच्चे ही स्कूल जाते है। ५ प्रतिशत परिवार के बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते है।बच्चों के स्कूल न जाने के कारणों में मुख्यतः ६० प्रतिशत परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना अर्थात गरीब होना शेष ४० प्रतिशत परिवार के बच्चों के स्कूल न जाने के अन्य कारणों को देखे तो २५ प्रतिशत बच्चे मवेशियों को चराने जाने के कारण, १८ प्रतिशत बच्चे छोटे भाई बहनों की देखरेख करने के कारण, १२ प्रतिशत बच्चे मजदूरी पर जाने के कारण और शेष पलायन करने, पढ़ने की इच्छा न होने जैसे कारणों के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन जनजातीय परिवरों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता ज्ञात की गई और पाया गया कि ५५ प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा के अधिकार के बारे में नहीं जानते और ४५ प्रतिशत उत्तरदाता ही जानते हैं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बच्चों को अनिवार्यतः स्कूल भेजना अभिभावकों का दायित्व है। इस संदर्भ में ७० प्रतिशत परिवार ही यह जानते है तथा ३० प्रतिशत परिवारों को इसका ज्ञान नहीं है। कुछ अभिभावकों को जानकारी ही नहीं है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजने पर उन्हें कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ४८ प्रतिशत परिवार ही जानते जबकि ५२ प्रतिशत परिवार यह जानकारी नहीं रखते है। जानकारी रखने वाले परिवारों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क गणवेश, मध्यान्ह भोजन इत्यादि से संबंधित सभी योजनाओं के बारे में जानकारी है। अध्ययन के दौरान पता चला कि स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं में ९८ प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई। अधिकांश स्कूलों में ९८ प्रतिशत बच्चों की गणवेश निर्धारित है तथा वर्ष में दो बार गणवेश दी जाती है एवं ८८ प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। किन्तु कुछ स्कूलों १२ प्रतिशत में अच्छा भोजन नहीं दिया जाता है। शिक्षा से संबंधित चलायी जा रही सरकारी योजनाओं एवं अन्य जानकारी की सूचना गांवों में आप कैसे प्राप्त करते हैं तो ४७ प्रतिशत ने बताया कि गांव के खबरी व्यक्ति द्वारा उन्हें सूचना मिलती है शेष ४५ प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा, १८ प्रतिशत ने मोबाइल द्वारा सूचना प्राप्ति की जानकारी दी।अधिकांश गांवों में ७८ प्रतिशत स्कूल निर्धारित समय पर लगते हैं जबकि २२ प्रतिशत स्कूल निर्धारित समय पर नहीं लगते हैं। इसमें ४८ प्रतिशत शिक्षकों का आराम से आना व जल्दी जाना, २० प्रतिशत शिक्षक स्कूल कभी-कभी आते हैं। जैसे कारण बताये गये है। अध्ययन में यह पाया गया कि विद्यालयों में निरीक्षण के संदर्भ में पूछा तो सर्वाधिक ५६ प्रतिशत विद्यालयों में उप संचालक बीईओ, मुख्य कार्य पालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अध्ययन के दौरान यह पता चला कि शिक्षा से संबंधित सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ ७० प्रतिशत परिवारों को मिला तथा ३० प्रतिशत परिवारों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, क्योंकि योजनाओं के बारे में १७ प्रतिशत लोगों को कोई बताता नहीं, योजनाओं का पता नहीं चल पाता। अन्य कारण भी हैं जैसे- भ्रष्टाचार, निरक्षरता, माता-पिता का ध्यान न देना आदि। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूली अव संरचना पर जोर है किन्तु झाबुआ में इसी से संबंधित बाधायें बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनमें से १२ प्रतिशत स्कूल के दूर होने को कारण बताते हैं। अन्य २८ प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों का अभाव होने, १० प्रतिशत शिक्षकों का बच्चों पर ध्यान न देने तथा ५० प्रतिशत अन्य सुविधाओं का अभाव जैसे ब्लैक बोर्ड, टाटपट्टी न होना, पुस्तकें, खेल का मैदान, खेल की सामग्री, पानी की व्यवस्था, कक्षा भवन, विद्यालयों में शौचालय न होना आदि को कारण बताते है।

अंततः सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा सकता है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, न सिर्फ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और समाज के सभ्रांत वर्ग का काम है, बल्कि जन साधारण को भी इस कार्य में महती भूमिका का निर्वाह करना होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

१.अंसारी ए एन एडल्ट एजुकेशन इन इण्डिया एस चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, १९८४
२.अग्निहोत्री रवीन्द्र, भारतीय शिक्षा : दशा और दिशा, केदारनाथ रामनाथ एण्ड क. मेरठ, १९७३
३.अग्निहोत्री रवीन्द्र, भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ पब्लिकेशंस इन सोशल साइंसेज, दिल्ली १९७४
४.अग्रवाल जे सी स्वतंत्र भारत में शिक्षा विकास, आर्य बुक डिपों, नई दिल्ली १९६८
५.अरविन्दों ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, आर्य पब्लिसर्स हाउस, कलकत्ता, १९६६
६.अग्निहोत्री रवीन्द्र, आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, २००८
७.अग्रवाल जे सी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन फी इण्डिया आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली, १९९९
८.अग्रवाल जे सी एवं गुप्ता, शिक्षा के आधार, शकरपूर दिल्ली, २००८
९.भट्नागर, सुरेश आधुनिक भारत की शिक्षा और समस्या विनोद पुस्तक मंदिर, आगर, २००४
१०.बैस एच एस, शिक्षा की रूपरेखा, आशीष पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, १९९१
११.चौधरी एवं उपाध्याय, भारतीय शिक्षा की सामयिक समस्याएँ, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, १९९८ चौबे सरयू प्रसाद, भारतीय शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा, १९७६
१२.द्विवेदी राधेश्याम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम १९८९, मल्होत्रा पब्लिसिंग हाउस, इलाहाबाद, २००८
१३.दुबे, रामजी, शिक्षा का अधिकार, शक्ति पब्लिशर्स भट्ट ब्रदर्स, उत्तराख
१४.क्षेत्रपाल भीमसेन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ क्षेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन्स इन्दौर, २०१०
१५.माण्डे एच एन म.प्र. में आदिवासी अंचल में शिक्षा छठवीं आल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेन्स, गांधी पीस फाउन्डउेशन न्यू दिल्ली, १९९४
१६.मिश्रा लक्ष्मी, म.प्र. में शिक्षा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, २००२
१७.मुखर्जी आर के प्राचीन भारतीय शिक्षा, एस चंद एण्ड कं. नई दिल्ली, १९५४
१८.मल्होत्रा ममता, शर्मा राकेश, शिक्षा का अधिकार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, २०११
१९.नाईक जे बी शिक्षा की समानता, गुणवत्ता संख्यात्मक विस्तार, वाग्देवी प्रकाशन सुगन निवास चन्दननगर बीकानेर, १९९८
२०.नायक जे पी तथा सैयद नुरूल्ला, भारतीय शिक्षा का इतिहास, मैकमिलन, १९७६ दिल्ल।
२१.ओड़ एल के शिक्षा के नूतन आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, १९७७

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org